Title: Motion for election of two members to the Central Building and other Construction Workers' Advisory Committee. (Motion adopted)

श्रम मंत्री (डॉ. साहिब सिंह वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of Section 3(2)(b) of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 read with Rule 11(2) of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Central Building and other Construction Workers' Advisory Committee, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

The motion was adopted.

...(*Interruptions*)